स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत पुनरीक्षण आवेदन
प्रकरण क्रमांक

समक्ष माननीय अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

1. श्री सुभाष पिता श्री बोधाराम रिजवानी
तर्फे आम मुखत्यार
श्री गोपालदास पिता श्री बंसीदास बैरागी
निवासी- 1262-डी, सुदामा नगर, इन्दौर म0प्र0 (क्रेतापक्ष)

2. श्री संजीव पिता श्री पुरूषोत्तम दुबे
निवासी- म.नं. 176/177, तुलसी नगर, इन्दौर म0प्र0 (विक्रेतापक्ष)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन तर्फे
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक, खरगोन (म.प्र.)

.... रिसपॉन्डेन्ट

मुद्रांक अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पुनरीक्षण आवेदन

अपील के संक्षिप्त तथ्य

1. आवेदक सुभाष पिता श्री बोधाराम रिजवानी तर्फे आम मुखत्यार श्री गोपालदास पिता श्री बंसीदास बैरागी द्वारा एक विक्रय पत्र बाजार मूल्य रू. 19,55,000/- का दिनांक 30.05.2015 को श्री संजीव पिता श्री पुरूषोत्तम दुबे निवासी- म.नं. 176/177, तुलसी नगर, इन्दौर म0प्र0 द्वारा निष्पादित, उप पंजीयक भीकनगांव के समक्ष दिनांक 30.05.2015 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसे उप पंजीयक द्वारा विलेख को मुद्रांक विधान की धारा 33 के अन्तरगत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प खरगोन की ओर भेजा गया।

2. यह कि, विलेख से बिक्रीत भूमि ग्राम दौडवां पटवारी हल्का नंबर 13 तहसील भीकनगांव का खसरा क्रमांक 11/4 रकबा 2.023 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 11/2/2 रकबा 0.810 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 2.833 हेक्टेयर है। मौके पर भूमि असींचित तथा पड़त पथरीली है।

अविरत 2

3. यह कि, सदर भूमि को क्रेता नें रू. 19,55,000/- में क्रय कर विक्रय पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया। उप पंजीयक ने विलेख को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प खरगोन की ओर कार्यवाही हेतु भेजा तत्पश्चात कलेक्टर ऑफ स्टाम्प खरगोन नें प्रकरण क्र. 58/बी-103/33 (14-15) दर्ज किया गया। अनावेदक ने जबाव प्रस्तुत कर मौका निरीक्षण का निवेदन किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो स्थल निरीक्षण किया ना ही तहसीलदार द्वारा दी गई रिपोर्ट पर ध्यान दिया प्रश्नाधीन भूमि का बाजार मूल्य 25,13,670/- अवधारित कर कमी मुदांक शुल्क रूपये 1,48,833/- एवं अर्थदण्ड रूपये 5000/- कुल 1,53,833/- खजाने में जमा करने का आदेश पारित किया गया इस आदेश से असन्तुष्ट होकर आवेदक द्वारा यह पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. कलेक्टर ऑफ स्टाम्प खरगोन द्वारा दिनांक 22/01/2016 को आदेश पारित किया गया जिसकी सूचना दिनांक 05.07.2016 को प्राप्त हुई तत्काल प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2016 को प्रस्तुत किया प्रमाणित प्रति दिनांक 14.07.2016 को प्राप्त हुई इस प्रकार यह पुनरीक्षण आवेदन मुद्रांक विधान की धारा 56 (4) (2) के अन्तरगत समयावधि में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 7167-पीबीआर / 2016 जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/7/17	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा समय–सीमा के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 20–7–16 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान विलम्ब के संबंध में जो कारण बताये गये हैं, वह समाधानकारक कारण नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	